कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

जनपद

टिहरी गढ़वाल / उत्तरकाशी। ईमेल- cfotwl.ukfs@gmail.com

पत्रांक- न-2/सीएफओ-PO-UKI/2024

दिनांक- सितम्बर 20, 2024।

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक

ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE GEONLA VILLAGE-GEONLA BRAHMKHAL DUNDA Distt- Uttarkashi

विषय:-

अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके ऑनलाईन आवेदन पत्र संख्या— 63973182, दिनांक— 20.09.2024 के परिपेक्ष में इस कार्यालय से निर्गत आदेश के अनुपालन में प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा आपके प्रश्नगत स्थल "ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE GEONLA" ग्राम गेवंला, बह्मखाल डुडा, जनपद उत्तरकाशी का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या पत्रांक— न—1/एफ0एस0/2024, दिनांक— सितम्बर 23, 2024 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। जिसमें निरीक्षण के दौरान निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. प्रश्नगत स्थल यमुनोत्री रोड़ गेवला, बह्मखाल में सड़क किनारे स्थित है, जिसमें भूमि 1,200 वर्ग मी० है।

- 2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत 03 ब्लॉक में निर्मित है, जिसमें प्रथम ब्लॉक भूतल व प्रथम तल निर्मित हैं। जिसके भूतल में 05 कमरे व प्रथम तल में 05 कमरें एवं द्वितीय ब्लॉक के भूतल में 02 कमरें एवं तृतीय ब्लॉक के भूतल में 02 कमरे निर्मित है।
- 3. प्रश्नगत स्थल तक अग्निशमन वाहन आसानी से आ—जा सकता है।

4. प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

5. प्रश्नगत भवन में ए.बी.सी. फायर एक्सिटेंग्यूशर क्षमता 04 किग्रा— 05 अदद एवं सी.ओ.2 फायर एक्सिटेंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा 01 अदद का प्राविधान किया गया है जो कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पाये गये।

6. प्रश्नगत स्थल में हौजरील 01 अददद का प्राविधान किया गया है जो टेरिस टैंक के साथ कनैक्टेड है।

- 7. प्रश्नगत भवन में पानी का रिजर्व टैंक (प्लास्टिक की टंकियाँ) क्षमता 16,000 लीटर का प्राविधान किया गया है, जो पानी से भरे पाये गये।
- प्रश्नगत भवन में फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान किया गया है।

भवन की विद्युत व्यवस्था एम०सी०बी० एवं ई०एल०सी०बी० पर आधारित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत स्थल का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है, साथ ही निर्देशित किया जाता है कि —

1. परिसर के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC 2016 के Part- 04 में निहित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

2. परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख—रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे।

3. परिसर के सभी निकास मार्ग या आपातकालीन मार्ग व सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखे जायें।

4. प्रश्नगत स्थल में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।

5. प्रश्नगत स्थल में फायर सर्विस का टेलीफोन नं0 01374—222201, धुम्रपान निषेध बोर्ड, पुलिस कंट्रोल रुम का नं0—100,

6. परिसर में विद्युत स्विच बोर्ड / विद्युत पैनल के आस—पास, निकास मार्ग एवं सैट बैक क्षेत्र में किसी सामग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा। भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।

प्रश्नगत स्थल का प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रू० प्रति फायर एक्सिटिंयूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क—(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60 अन्य सेवायं, 109 अग्नि से संरक्षण एव नियन्त्रण जमा कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्तः समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में प्रश्नगत स्थल/परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व—घोषणा प्रमाण—पत्र (Self Declaration Certificate) प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।

- प्रश्नगत स्थल की उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील एवं उच्च स्तर का बनाये रखने के साथ ही कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं संचालन की जानकारी होना आवश्यक होगा।
- 9. निर्गत अग्निस्रक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण / कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नही होगा।

उपरोक्तानुसार प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी की संस्तुति आख्या पर उपनिदेशक तकनीकी, अग्निशमन एवं आपात सेवा, उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदन एवं इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव एवं शर्तो का पालन किए जाने के आधार पर "ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE GEONLA" ग्राम गेवंला, बहमखाल डुडा, जनपद उत्तरकाशी को दिनांक— 27 सितम्बर, 2024 से 26 सितम्बर, 2027 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

(संजीवा कुमार) मुख्य अजिश्वामन अधिकारी टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी।